the periods mentioned against each :-

1. Shri Lala Ram Ken —26 April to 10 May, 1983. (11th Session).

2. Shri Ramma-krishna More —10 April to 2 May, 1983. (11th Session).

3. Shri Chhote Lal Uike —25 March to 1) May, 1983, (11th Session).

Is it the pleasure of the House that leave as recommended by the Committee may be granted ?

SEVERAL HON'BLE MEMBER : Yes

MR. SPEAKER : The leave is granted. The Members will be informed accordingly.

———

12.30 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported loss of crops due to supaly of rotten seeds by National seeds Corporation to farmers

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उस बारे में एक वक्तव्य दें :

"राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा राष्ट्र की आवश्यकताओं की परवाह किए बिना बढ़िया किस्म के बीजों का निर्यात किए जाने और किसानों को गले सड़े बीजों की सप्लाई किए जाने के कारण फसलों को नुकसान होने के समाचार तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

12.30 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : The National Seeds Corporation Limited is an apex organisation at national level for production and distribution of seeds. Till 1981-82, the NSC used to produce foundation and certifiied seeds, From 1982-83, they have also been producing small quantities of breeder seeds under direct supervision of the breeders or sponsored breeders. From a level of production of 7,421 qtls. of foundation seeds and 57,576 qtls. of certified/quality seeds during 1966-67, they have achieved a level of 98,000 qtls. of foundation seeds and 6.22 lakh quintals of certified/quality seeds in 1982-83 respectively. During 1983-84 production targets of foundation and certified seeds are 1.19 lakh qtls. and 10.80 lakh qtls. respectively.

2. Besides, production of seeds in NSC's own Farms NSC organises seed production through State Seeds Corporations/State Farms Corporation of India, State Agricultural Universities and contract growers/farmers. Fxcept for small quantities, rest of the seeds produced are offered for certification to various State Certification Agencies established under the Seeds Act. They certify the quality of the seeds after observing prescribed norms. After certification, the bags are sealed and a signed certification tag is attached to each bag. The NSC also distribute a small quantity of labelled seeds in addition to certified seeds but it conforms to specified standards. NSC has a system of field inspections and testing of these seeds in their own laboratories. During the past three years, out of a total quantum of 4.09 lakh qtls., 3.53 lakh qtls. and 5.27 lakh qtls. of seeds of five major cereals produced during the years 1980-81, 1981-82 and 1982-83 respectively, percentages of certified seeds has been as high a

[Rao Birendra Singh]

99.4%, 97.9% and 96.3%. The small quantities of the seeds produced could not be offered for certification, due to technical reasons, namely, that they had not been notified till the time of their production.

3. The NSC distributes seeds through its registered seed dealers, State Govts., cooperatives and its own sale depots. The quantity of seed distributed through its own sale depots. In marginal. The responsibility to check the quality of seeds of notified varieties on the distribution network rests with the State Govts. The NSC have also a scheme of "Money Back Guarantee". Under this scheme, if any seed supplied, by NSC is found substandard. the cost of the seeds is reimbursed to the farmers. This scheme was introduced in 1976-77.

4. In the light of the factual position given above, the possibility of distribution of rotten seeds by the NSC to the farmers is highly unlikely.

5. As regards the export of high quality seeds, according to the existing import and export policy of the Government, export of seeds of oilseeds and pulses are not allowed except on individual clearance which has seldom been given. In the case of wheat seed, export is being allowed through NSC only, specifically on the recommendation of the Ministry of Agriculture, which is based on the merit of each case. The export of seeds of other foodgrains was allowed under O.G.L. by the Commerce Ministry subject to availability of quality certificate of NSC or any other State Seed Certification Agency, but Agriculture Ministry has requested the Commerce Department to restrict these also in the same way as wheat seed and the latter have recently issued orders to this effect. As a matter of policy export of seeds the NSC is subject to meeting the needs of our farmers as the first charge. The export of seeds by the NSC declined from 1.73 lakh quintals during 1980-81 to only 603 qtls. during 1982-83. Though limited exports of certain seeds has to be allowed in the interest of international cooperation, it is not correct that high quality seeds were exported without taking into consideration our own requirements.

श्री चन्द्रपाल शैलानी : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान अपने मूल प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा प्रश्न था :

"राष्ट्रीय बीमा निगम द्वारा राष्ट्र की आवश्यकताओं की परवाह किए बिना बढ़िया किस्म के बीजों का निर्यात किए जाने और किसानों को सड़े-गले बीजों का निर्यात सप्लाई किए जाने के कारण फसलों को नुकसान होने के समाचार तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"

माननीय मन्त्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको, जितने भी माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हैं, उन्होंने सुना है और पढ़ा भी है। माननीय कृषि मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह हमारे मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। मेरा मूल प्रश्न है कि राष्ट्रीय बीज निगम ने कितना बीज बेचा है, जो सड़ा गला है और काम का नहीं है। जिसकी वजह से लाखों एकड़ फसल बेकार हो गई है। इन तमाम बातों को नजर अन्दाज करके बीज बाहर एक्सपोर्ट किया गया है। कौन सा बीज सड़ा-गला कितनी मात्रा में किसानों को दिया गया, उससे कितना नुकसान हुआ— इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कतई कोई बात अपने उत्तर में नहीं कही है।

श्रीमन, माननीय कृषि मन्त्री जी के अधीन जो निगम हैं खास तौर से दो

निगम— राष्ट्रीय बीज निगम और एफ० सी० आई०— हैं, जिनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। इनके कार्य कलापों के बारे में और इन कारगुजारी के बारे में कभी-कभी माननीय मंत्री जी को इस सदन में अपनी तरफ से सफाई देनी पड़ती है । इस काम को करने वाले कौन हैं, देश के हित में करते हैं, या देश के अहित में करते हैं, किसानों के हित में करते हैं या किसानों के अहित में करते हैं— मैं केवल इन सारी बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी स्वयं एक किसान हैं और किसानों की जब फसल मारी जाती है, किसानों को जब नुकसान होता है, उसकी खड़ी फसल नष्ट हो जाती है, उसको किस तकलीफ और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है — इन सब से माननीय मन्त्री जी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उनके हृदय में भी किसानों के लिए काफी स्थान हैं। उनकी भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए इनके अन्तर्गत जो दो निगम आते हैं, उनके अधिकारी और कर्मचारी किस तरह से किसानों के हित के खिलाफ हो जाते हैं — इन चन्द बातों की ओर मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है— राष्ट्रीय बीज निगम अपने फार्मों के उत्पादन करने के अलावा राज्य बीज निगमों/भारतीय राज्य फार्म निगम, राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुबंधित उत्पादकों/ किसानों के जरिए भी बीजों के उत्पादन की व्यवस्था करता है । बीजों की कुछ मामूली मात्रा को छोड़कर बाकी उत्पादित बीजों को बीज अधिनियम के तहत स्थापित विभिन्न राज्य प्रमाणीकरण एजेंसियों के पास प्रमाणीकरण के लिए भेजा जाता है । वे एजेंसियां निर्धारित मापदंडों के मुताबिक बीजों की क्वालिटी प्रमाणित करता है । माननीय मन्त्री जी ने विशेष तौर से अपने उत्तर में इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय बीज निगम के क्या कार्य हैं और किस तरह से वह बीज पैदा करता है और कितना परसेंट अच्छा बीज होता है, किस-किस प्रोसेस में होकर उसको निकलना पड़ता है और किसानो को बेचा जाता है । ये सारी बातें हमारे मूल प्रश्न में नही हैं । मूल प्रश्न यह है कि किसानों को सड़ा गला हुआ बीज सप्लाई किया गया है, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ है । अभी कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री जी ने अखबारों में पढ़ा होगा और उनके मंत्रालय के अधिकारियों ने उनको बताया होगा कि राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा दस हजार क्विंटल बाजरा किसानों को, खास तौर पर मेरे सूबे के किसानों को, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों को बेचा गया है । दस हजार क्विंटल बाजरे की इतनी अधिक मात्रा है कि कम से कम पांच लाख एकड़ जमीन में इसको बोया जा सकता है । जितने लोगों ने इसको बोया और जिन लोगों ने एन० एस० सी० से इसको खरीदा उनका कितना नुकसान हुआ है, कितना अहित हुआ है, इस ओर मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है। हम लोग देहातों में रहते हैं । एफ० सी० आई० और एन० एस० सी० ने देश की आजादी के बाद काफी अच्छे काम किए हैं।

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

मैं यह नहीं कहता कि एन० एस० सी० का सारा काम खराब है, उन के यहां अच्छा काम भी हुआ है. 20-25 साल पहले जहां एक बीघा में कुल दो-ढाई मन अनाज पैदा होता था, आज हमारे कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने ऐसी-ऐसी किस्में पैदा की हैं कि एक बीघा खेत में 20 मन गेहूं पैदा होता है। इस के लिये वे बधाई के पात्र हैं, लेकिन जिस तरह यह कार्पोरेशन देश के किसानों का शोषण करता है, लूटता है, उस की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती है। इस लिये मैं राव साहब से चन्द सवालात पूछना चाहता हूं—

1. राष्ट्रीय बीज निगम ने दस हजार क्वींटल बाजरे का खराब सड़ा-गला बीज पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों को बेचा है। यह बीज किन-किन एजेन्सीज की मारफत किसानों को बेचा गया है।

2. क्या यह सही है कि आंध्र प्रदेश में पैदा किया हुआ यह बीज बी० जे० 104 आंध्र प्रदेश सीडस सर्टिफाइंग एजेन्सी ने रिजेक्ट कर दिया था ? यदि हां, तो फिर क्यों एन० एस० सी० ने इसे लिया और किसानों को बोने के लिये बेचा

3. क्या यह भी सही है कि इस बीज को किसानों को न बेचने के लिए कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय बीज निगम को हिदायत दी थी, किन्तु फिर भी बीज निगम ने बगैर परवाह किये उसे किसानों को बेच दिया ?

4. क्या इण्डियन सीड्स एक्ट के मुताबिक खराब, नकली अथवा मिलावटी बीज सप्लाई करना निषेध है और एन० एस० सी० की "राशि-वापसी की गारन्टी" (मनी-बैंक-गारन्टी) नामक जो योजना है, उस के तहत यह जो बाजरे का घटिया बीज जिन किसानों को सप्लाई किया गया है उन को कीमत वापस की जायगी अथवा नहीं ? यदि की जायगी तो कब तक ?

5. क्या इस घटिया बीज को सप्लाई करने में एन० एस० सी० या किसी अन्य सरकारी एजेन्सी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों का हाथ ? क्या सरकार का विचार इस घोटाले की जांच किसी बड़ी सरकारी एजेन्सी से कराने का है।

6. जिन किसानों की फसल बरबाद हुई है उन को मेहनत, खाद, पानी तथा अन्य कामों में भी पैसा लगाना पड़ता है। क्या सरकार का विचार उन किसानों को कम्पेन्सेट करने अथवा उन्हें आर्थिक मदद देने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

7. पिछले एक वर्ष में कितने रुपये कीमत के किन-किन बीजों का एन० एस० सी० द्वारा निर्यात किया गया है? क्या यह निर्यात अपने देश के किसानों की आवश्यकताओं को नजर अंदाज कर के किया गया है?

सभापति महोदय, ये चन्द सवालात हैं जिन का देश के हित में माननीय मंत्री जी द्वारा जवाब दिया जाना आवश्यक हैं। इस लिये मैं पुनः निवेदन करता हूं कि वे इन सवालों का जवाब दे कर सदन और देश की जनता को अवगत करायें।

राव० बीरेन्द्र सिंह : चेअरमैन साहब, शैलानी जी ने जो बातें पूछी हैं, उन के मुताल्लिक जितने जवाब उन के प्रश्न में उठते थे, वे तो मैं दे चुका हूं। उन का यह ख्याल था कि किसानों को सड़े-गले बीज दिए गए हैं — इस बात को मैं साफ कर चुका हूं कि एन० एस० सी० द्वारा कोई भी सड़ा गला बीज दिए जाने की सम्भावना नहीं है।

जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, मैंने अर्ज किया है कि एन० एस० सी० द्वारा बहुत कम एक्सपोर्ट हुआ है और अब तो पिछले साल के मुकाबले घट कर और भी कम हो गया है। पहले गेहूं का जितना भी बीज बाहर जाता था वह एन० एस० सी० के द्वारा जाता था और दूसरे बीजों का ओपन—जनरल—लाइसेंस के तहत होता था लेकिन उस पर भी अब हमारी सिफारिश पर कामर्स मिनिस्ट्री द्वारा पाबन्दी लगा दी गई है। फिर भी जितना बाहर भेजना पड़ता है — कुछ अन्तर्देशीय बातें होती हैं, एक्सचेन्ज प्रोग्राम है, उस के तहत देना पड़ता है, दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात कायम रखने के लिये। लेकिन अब इस पर सख्ती से पाबन्दी लगा रहे हैं, आइन्दा जब तक हमारे किसानों की जरूरियात पूरी नहीं हो जायगी, ज्यादा बीज बाहर नहीं दिया जायगा। गेहूं के निर्यात पर पहले पाबन्दी लगी हुई थी, अब कल ही कामर्स मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी कर के बाकी बीजों के निर्यात पर भी पाबन्दी लगा दी है।

माननीय सदस्य का जो यह ख्याल है कि 10 हजार क्वींटल बाजरा का निकम्मा बीज यू० पी० के अन्दर बेचा गया, यह बात भी ठीक नहीं है। बाजरा का बीज आन्ध्र प्रदेश के बीज उगाने वालों की मार्फत तैयार कराया गया और लाया गया था। जब फसल के लिए तैयार हुआ, तो आप यह देखें कि वहां की जो सर्टीफिकेशन एजेन्सी है, उस ने कहा था कि जो जेनेटिक क्वालिटी है, जो प्यूरिटी आफ सीड होनी चाहिए वह उस में नहीं रही थी और हमारे कायदे-कानून में यह है कि जो बीज तैयार किया जाए, उस की जेनेटिक क्वालिटी रहनी चाहिए। इस वजह से जो वोराइटी, जो क्वालिटी का सर्टीफिकेट, जोकि सर्टिफाइड सीड के लिए दिया जाता है, वह नहीं था। इसलिए उस की प्यूरिटी का सर्टिफिकेट नहीं मिल सका लेकिन वह खरीद लिया गया इसलिए कि एन० एस० सी० टेस्ट कर के देख लिया था कि बीज खराब नहीं है बल्कि ट्रायल्स में यह पाया गया कि उस बीज से जो फसल हुई है, जो पैदावार हुई है, वह भी यूनिट और दूसरे बीजों से, प्योर बीजों से ज्यादा हुई है और उस से किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। फसलों का हाल देख कर एन० एस० सी० ने यह रिपोर्ट दी है और हम ने तसदीक कर के देख ली है कि यह बात भी सही नहीं है कि 10 हजार क्वींटल बीज जो आंध्र प्रदेश के किसानों के जरिए तैयार कराया गया था, वह सारे का सारा बेच दिया गया है। उस में से सिर्फ 4,840 क्वींटल बीज अभी तक बेचा गया है और इस 4,480 क्वींटल बीज में से सिर्फ 960 क्वींटल बीज उत्तर प्रदेश को बेचा गया है,हरियाणा को 450 क्वींटल और राजस्थान को 3,330 क्वींटल बीज राजस्थान में बिका है। यू० पी० के किसानों को सिर्फ 960 क्वींटल बीज बेचा गया है और एन० एस० सी० ने इस को हाईब्रिज कह कर दिया है और ने कोई धोका दे कर इस को नहीं बेचा है। उस ने कह दिया था कि यह हाईब्रिड बीज है, मिक्सड बीज है और

[राव बीरेन्द्र सिंह]

इस का ट्रायल होगा और आप यह तसल्ली कर लेंगे कि यह बीज खराब नहीं है। यह तसल्ली कर दी गई थी और इसलिए यह सवाल पैदा नहीं होता कि किसानों का कोई नुकसान हुआ हो लेकिन अगर माननीय सदस्य अपने मोशन के साथ यह बता देते कि कौन से सीड के मुताल्लिक उन का सवाल है, तो हम उस के बारे में मालूम करवा लेते। उन्होंने तो एक जनरल बात कह दी कि किसानों को बीज दिया गया। अब इस के बारे में हमारे लिए यह समझना मुश्किल है कि कौन से बीज की बावत वे खास तौर पर मालूम करना चाहते हैं। न उन्होंने कोई रिपोर्ट्स बताई और न कोई कापी रिपोर्टों की दी, जिन से हम आगे जांच कर लेते कि कहां के मुताल्लिक वे जानकारी हासिल करना चाहते हैं। एक जनरल रिपोर्ट की बात उन्होंने कर दी और उस के आधार पर जितना हम से हो पाया है, वह जवाब दे पाए हैं।

सभापति महोदय : श्री अशफाक हुसैन।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मेरा स्पेसीफिक सवाल है। आप केवल आधा मिनट मुझे दीजिए।

सभापति महोदय : नो, नो। श्री हरीश रावत।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने माननीय शैलानी जी के प्रश्न के जवाब में अभी यह कहा है कि जो प्वाइन्टेड प्रश्न पूछा गया था, उस का जवाब दे दिया गया है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि यह जो कालिंग एटेंशन है, उस की मंशा के अनुसार माननीय मंत्री जी ने जवाब जरूर दिया है लेकिन पिछले दिनों समाचारपत्रों में यह छपा था कि एन० एस० सी० के द्वारा जो बीज यू० पी०, हरियाणा और राजस्थान के किसानों को सप्लाई किया गया वह बीज एन० एस० सी०, वर्ल्ड बैंक और आंध्र प्रदेश में बीज पैदा करने वाली एजेन्सियों के सहयोग से पैदा किया गया था और उस का जो ब्रीडर, जो फाउन्डेशन बीज था, वही अपने आप में डिफेक्टिव था और उस के विषय में कृषि मंत्रालय ने एन० एस० सी० को चेतावनी दी थी कि ऐसा बीज किसानों को नहीं बेचा जाना चाहिए। इस प्रकार के समाचार जो प्रकाशित हुए थे, तब भी एन० एस० सी० के माध्यम से किसानों को बीज बेचा गया। जब इस प्रकार के समाचार समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रकाशित हुए थे, तो कृषि मन्त्रालय का दायित्व है कि वह इस प्रश्न को क्लियर करे कि वास्तव में यह चेतावनी एन० एस० सी० को दी गई थी और अगर दी गयी थी, तो एन० एस० सी० ने उस को फालो क्यों नहीं किया और इस प्रकार का बीज कैसे किसानों तक पहुंचा। अब किसानों का जो यह लोस हुआ, हैं, उस के लिये एन० एस० सी० के जो अधिकारी जिम्मेबार हैं, उन के खिलाफ आप एसेंशियल कामोडिटीज एक्ट के मुताबिक या किसी दूसरे एक्ट के मुताबिक कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं या नहीं और इस के साथ ही साथ जो किसानों का नुकसान हुआ है और यदि आप मानते हैं कि एन० एस० सी० द्वारा जो बीज दिया गया है, उस से नुकसान हुआ है, तो उन को आप कैसे कम-पेन्सेट करने जा रहे हैं।

मान्यवर, एन० एस० सी० हमारी एक एपेक्स बाडी है जिसकी बहुत जिम्मेदारियां हैं। हम नहीं चाहते कि इस विषय में इसको बदनाम किया जाए। मगर फिर भी, समय-

समय पर इसकी कार्यविधियों के विषय में संसद् में और संसद् के बाहर भी लोगों ने शंकाएं जाहिर की हैं और उन शंकाओं के निराकरण के विषय में जो कुछ संसद् में कहा गया, उसको एन० एस० सी० ने वस्तुत: फालो नहीं किया। मैं मान सकता हूं कि इसके कुछ कारण हो सकते हैं। इसका इतना बड़ा नेटवर्क है, इस पर मार्किटिंग का बहुत भार है और इतने बड़े नेटवर्क में पूरा चेक रखना एन० एस० सी० या किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि एन० एस० सी० का जो मार्किटिंग का नेटवर्क है, उसमें एक्सटेंशन वर्कर्स का भी कोई सेल जैसा हो जो कि जाकर यह देखे कि किसान को जो बीज सप्लाई किया जा रहा है वह प्रोपरली सीड या जरमिनेट कर रहा है या नहीं, इस विषय में निगरानी रखने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

एन० एस० सी० किसान को बीज सप्लाई करता है और वह किसान के पास पहुंचता है। उसके बाद किसान को कोई जानकारी नहीं रहती कि वह कैसा है। क्या आप रबी और खरीफ के समय विभिन्न प्रकार के केम्प आयोजित कर के किसानों को बेसिक एलीमेंटरी देंगे, बीज के विषय में फर्टिलाइजर के विषय में ? क्या आपका मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से ऐसे केम्प आयोजित करने के विषय में कोई प्रयास करेगा ? मैं समझता हूं कि जो थोड़ी बहुत कहीं पर कमी रह जाती है उसको दूर किया जा सकता है।

क्या आप अपने मंत्रालय के द्वारा एन० एस० सी० में कोई ऐसा आरगेनाइजेशन क्रियेट करेंगे, जो कि एन० एस० सी० के ऊपर मार्केटिंग का इतना बड़ा भार है, उसके विषय में रेण्डम चेकिंग कर सके ? मान लीजिए आपने डीलर के पास थैला भेज दिया। अब डीलर ने उस बीज को बदल दिया। अच्छा बीज बड़े किसान को बेच दिया और रद्दी बीज गरीब और मार्जिनल फार्मर को बेच दिया। अब वह किसान तो कहीं जा नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर तो आपकी मोहर लगी हुई है। क्या इस प्रकार की कोई रेण्डम चेकिंग की व्यवस्था आप करेंगे ?

इसके अलावा बाहर सर्टिफाइड बीज के तौर पर ही नहीं, बल्कि क्वालिटी बीज के नाम पर भी बिकता है। एन० एस० सी० के द्वारा जो सर्टिफाइड बीज बिकता है, उसके ऊपर तो आपकी चेकिंग है, वह तो आपके एक्ट के परव्यू में भी आता है, या उसको आप के परव्यू में ले सकते हैं। मगर जो क्वालिटी बीज के नाम से बिकता है और रद्दी बीज बिकता है, उसको भी क्या आप एक्ट के परव्यू में लायेंगे क्योंकि कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और कई स्थानों से इस तरह के समाचार आये हैं। इसके विषय में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

मान्यवर, सर्टिफाईड बीज का आइडिया अपने आप में बहुत अच्छा है जिसको सब लोगों ने वेलकम किया भी है। मगर कोई ऐसी बाडी होनी चाहिए जो सर्टिफिकेशन के काम को देखे। नेशनल लेबल पर कोई ऐसी एपेक्स बाडी हो जो विभिन्न राज्यों में यह देखे कि आपका जो सर्टिफाइड बीज है वह ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।

[श्री हरीश रावत]

साथ-साथ आपके जो विभिन्न फार्म्स हैं जिनमें कि बीज पैदा किया जाता है। वहां जो बीज पैदा किया जाता है, आपका पंत-नगर का फार्म जो कि तराई में है, वहां पर जो गेहूं बीज पैदा किया जा रहा है उसके बारे में हाल में समाचार छपा था कि वह डिजिज के सामने वल्नरेबल नहीं है । यह चीज किसान को शंका में डालती है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि आपके जो डिफ्रेंट लेवल्स पर फार्म्स हैं, जो कि सीड्स फार्म्स हैं और जितने प्रकार की आपकी सर्टिफिकेशन एजेन्सीज हैं उनके बीच में कोई क्लोज कोआरडिनेशन हो : इसके विषय में आपके मंत्रालय ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

मान्यवर, एन० एस० सी० को एक सब से बड़ी दिक्कत यह फेस करनी पड़ती है कि उसको किसान के टेम्परामेंट की जानकारी नहीं रहती है कि किसान किस साल किस बीज को पसंद करेगा । एन० एस० सी० तो यह समझती है कि उन्हें तो बीज पैदा कर के मार्किट में भेज देना चाहिए । मान लिया कि वे मार्किट की रिक्वायरमेंट को भी केटर करते हैं, मार्किट में जो बीज की रिक्वायरमेंट है उसको भी केटर करते हैं। लेकिन किस साल किसान की क्या टेण्डेंसी बनेगी, वह किस प्रकार का बीज पसंद करेगा, इसकी जानकारी उनको नहीं रहती। कोई ऐसा आर्गनाइजेशन होना चाहिए जो किसानों की पसंद को देखे। मान लीजिए किसान सोनालिका या जया नहीं बोना चाहता तो ऐसी कोई बाडी होनी चाहिए जो किसान की रूचि से एन० एस० सी० को अवगत करा सके और एन० एस० सी० उसी हिसाब से बीज सप्लाई कर सके । अगर ऐसा नहीं होगा तो राष्ट्रीय बीज निगम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पायेगा और किसान के मन में उसके प्रति आशंका जागेगी।

राज्यों के जो बीज निगम हैं, उनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है । आप उनसे माल लेते हैं और स्टेट्स बीज के विषय में जो ला है उसको एनफोर्स करने में बड़ा ढीलापन बरतते हैं। क्वालिटी कंट्रोल को भी ध्यान में नहीं रखा जाता और उस पर एन० एम० सी० की मोहर लग जाती है। किसान उसको एन० एस० सी० का बीज समझते हैं। जितने भी राज्यों में फार्म या बीज निगम हैं वहां पर एन० एस० सी० का कोई सुपरवाइजर था टेक्नीकल एक्सपर्ट होना चाहिए जो फाउंडेशन स्टोन, ब्रीडिंग सीड के टाइम से चैक करे । प्रापर सीड निकले और वही सीड एन० एस० सी० के माध्यम से वेचा जाए।

मेरी इन शंकाओं का मंत्री महोदय जवाब दें और जिस बात को कालिंग अटेंशन उठाया गया है कि बाजरा बी० जे० 104 ठीक सप्लाई नहीं किया गया इसके बारे में समाचार-पत्रों में निकला है। अगर यह समाचार गलत हैं तो मंत्री महोदय स्पष्ट तौर पर कह दें कि यह समाचार गलत था। अगर गलत नहीं था तो आपके मंत्रालय ने इतने गम्भीर मामले को आपके नोटिस में नहीं दिया और कोई कार्यवाही नहीं की । इस तरह के मंत्रालय के ढीलेपन को आप कैसे दुरुस्त करेंगे, यह भी बताने का कष्ट करें।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि जो बीज आंध्र प्रदेश से तैयार किया गया था वह न तो बी जे 104 था

प्योरली और न दूसरा बी के 560 था। इनका मिक्सचर बीज तैयार करते वक्त हो गया। यह टेक्नीकल गलती एन० एस० सी० की थी कि उसका मल्टीपल क्रास हायब्रिड के नाम से अलग मार्केट कर दिया। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को जब इस बात का पता लगा तो हमने उनको मना किया। इसके बाद 4840 क्विंटल बीज बेचने के बाद बेचना बंद कर दिया गया। इसके बाद एन० एस० सी० लगातार इस बात की देखभाल कर रही है कि वह फसल कैसी है। अभी तक जो रिपोर्ट मिल रही है उसके अनुसार कोई नुकसान नहीं हुआ है बल्कि उस बीज की फसल अच्छी तैयार हो रही है। इसलिए मुआवजे का सवाल पैदा नहीं होता।

इस बारे में कुछ और शिकायतें हमारे पास आई थीं। हमने यहां से स्पेशल टीम भेजी। और जगह-जगह से सेम्पल लिए गए। होता यह है कि सर्टिफाइड सीड की पैदावार इतनी नहीं है कि सारी मांग को पूरा किया जा सके। इसलिए स्टेट्स अपना बीज तैयार करती हैं और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी अपना बीज तैयार करती हैं। किसानों के जरिए भी बीज तैयार कराया जाता है। एन० एस० सी० केवल 14-15 परसेंट बीज की मांग को पूरा करती है। बाकी 85 परसेंट बीज स्टेट्स अपने आप पैदा करते हैं। वहीं पर इंटरनल अरेंजमेंट होते हैं जिससे किसानों को यह बीज सप्लाई किया जाता है। तो यह ख्याल गलत है कि एन० एस० सी० का बीज खराब होता है और दूसरी एजेन्सियां ठीक बीज देती हैं।

13.00 hrs.

बाज दफा गलती किसी की होती है लेकिन इलजाम एन० एस० सी० के सिर मढ़ा जाता है। मैं मानता हूं कि एन० एस० सी० चूंकि एक नेशनल आर्गेनाइजेशन है इस वास्ते इसका काम स्टेट्स में सीड पैदा करने वाली एजेन्सीज में तालमेल करना है और यही नहीं, इस को माडल आर्गेनाइजेशन के तौर पर भी काम करना चाहिए। माननीय सदस्य ने यह जो बात कही है यह बिल्कुल ठीक बात है। उस तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। खास तौर पर यही शिकायत आई थी कि बाजरे का सीड कुछ ट्रेडर्ज से लोगों ने खरीद लिया। स्वाभाविक है कि जब ऐसी बात होगी तो कहीं खराब बीज भी खरीदा जाएगा। उड़ीसा में धान का बीज इसी तरीके से प्राइवेट ट्रेडर्ज से खरीदा गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन कुछ और स्टेटस में भी ऐसा ही हुआ। हरियाणा में जहा से मैं आता हूं वहां भी ट्रेडर्ज से खरीदा गया। हमें शिकायत मिली कि वह बीज भी अच्छा नहीं है। उसका प्रासेसिंग ठीक नहीं हुआ है। उसका लेवेल भी ठीक नहीं है। यहां से हम ने चार पांच टीम्ज बना कर भेजी, फौरन सैम्पल लिये कि किस तरह का बीज मार्किट हो रहा है। कई बार ट्रुथफुली लेबल के थेले में बेचा जाता है, वह ट्रुथफुली लेबल्ड भी नहीं होता है, उस में भी मिलावट हो जाती है। एन० एस० सी० इस बात में कोताही नही कर रही हैं। पिछले दो सालों में एन० एस० सी० ने 20418 सैम्पल लिए हैं। जहां बीज पैदा किया जाता है, किसान के केत में वह भी एन० एस० सी० के इंसपेक्टर एसोसिएटिड होते हैं क्योंकि एन० एस०सी० स्टेट फार्म्ज कारपोरेशन से और प्राइवेट ग्रोअर्ज से भी बीज खरीदती है और उसके बाद सर्टिफिकेशन भी हो जाता है स्टेट की एजेंसी से तो एन० एस० सी० उसको मार्किट करती है। इस में उसके

[राव बीरेन्द्र सिंह]

अपने जो एजेंट हैं वे 3500 के करीब हैं। सौ के करीब एन० एस० सी० के अपने काउंटर है जहां से डायरेक्ट सेल एन० एस० सी० की तरफ से होती है।

जहा तक कि स्टेट फार्म्ज कारपोरेशन का ताल्लुक है उम में जो बीज पैदा होता है या एन० एस० सी० अपनी देखभाल में डायरेक्टली तैयार कराती है वहां तो काफी चेकिंग कर सकती है और उस तरफ काफी सख्ती से काम ले रही है लेकिन जब स्टेट से खरीद करती है, सर्टिफिकेशन होता है स्टेट की एजेंसी का उसका आपने सही कहा है है कि भारत सरकार का पूरा कंट्रोल नहीं है। भारत सरकार सोच रही है कि ऐसा कानून कायदा बनाए जिस पर भारत सरकार का ज्यादा असर दखल स्टेट के काम पर हो जाए जहां तक बीज का ताल्लुक है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के नीचे अभी फरवरी में हम बीज को ले आए हैं। इससे पहले बीज पर कोई पाबन्दी नहीं थी। फरवरी में नोटिफिकेशन किया था और बीज को इसके नीचे ले आए हैं और यह एक एसेंशियल कमोडिटी हो गई है। इस में मिलावट होगी या दूसरी खराबियां होंगी तो इस एक्ट के तहत उनको पकड़ा जाएगा और उनको सख्त सजा दी जाएगी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत। एन० एस० सी० के अपने इंसपेक्टर हैं जो फील्ड में काम करते हैं, मेले होते हैं, किसान को समझाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए भी और उन में भी एन० एस० सी० भी शामिल होती है। जितनी सजेशंज माननीय सदस्य ने दी हैं उन सब पर हमारा ध्यान है और आगे इस काम को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। यह सही है कि एक टेक्नीकल खामी थ। कि मिक्सड बीज हो गया और उसको मल्टीपल क्रास हाई-ब्रिड उन्होंने बता कर थैलियों में बन्द करके बेच दिया और लिख दिया कि यह मल्टीपल क्रास है, यह प्योर जैनेटिक क्वालिटी की तरह का बीज नहीं।

श्री हरीश रावत : एपेक्स बाडी के बारे में बताइए।

राव बीरेन्द्र सिंह : एन० एस० सी० एपेक्स बाडी है।

MR. CHAIRMAN : We shall adjourn now and meet again at 14.05 hours,

13.04 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Five Minutes Past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassemble after lunch at nine minuts past Fourteen of the Clock.

[MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Reported loss of crops due to supply of rotten seeds by National Seeds Corporation to farmers—*Contd.*

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूं।

मंत्री जी के वक्तव्य में दो-चार विरोधाभास हैं, मैं चाहूंगा कि वह उनका स्पष्टीकरण करें। अपने वक्तव्य के पैरा 4 में मंत्री जी ने कहा कि—

"ऊपर बताई गई वास्तविक स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किसानों को सड़े-गले बीजों के वितरण की संभावना बहुत ही कम है।

किन्तु यहां सदन में इन्होंने कहा कि संभावना बिल्कुल ही नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि संभावना कम है और बाद में कहते हैं कि है ही नहीं। मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण करें।

मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर देते समय यह कहा कि शुद्ध बीज से जितनी पैदावार होगी, उससे भी अधिक पैदावार हाई-ब्रीड बाजरा मल्टी क्रास से होगी। यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : समझ से बाहर की बात है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : जो बालू में से तेल निकलता हो, उसकी समझ के बाहर की बात तो होगी ही।

मंत्री जी ने यह कहा कि बाजरा हाई-ब्रीड-104 बीज प्रोक्योर नहीं किया गया था। क्या मंत्री जी इस बात से भी इन्कार करेंगे कि वर्ल्ड बैंक की एसिस्टेंस से हाई-ब्रीड 104 बीज की परियोजना चल रही थी और उसका क्या यह रिजल्ट नहीं निकला कि उसमें शुद्ध बीज की उपलब्धि नहीं हुई? अगर ऐसा हुआ है तो वर्ल्ड बैंक की एसिस्टेंस से जो पैसा इसमें लगाया गया, क्या वह बर्बाद नहीं हुआ? इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी?

इन सब कारणों से नेशनल सीड कार्पोरेशन के बीजों पर से लोगों का विश्वास समाप्त हो रहा है।

अभी उड़ीसा के लोगों ने कहा कि मानसून की वर्षा अगर हो जाती तो हमारी फसल अच्छी होती है, लेकिन जो फसल बर्बाद हुई, उसका कारण क्या आप यह सोचते है कि इस तरह से जो अविश्वास पैदा हो रहा है नेशनल सीड कार्पोरेशन के बीजों पर तो उसका क्या समाधान निकलेगा?

अपने देश में ही नहीं, हमारे पास एक प्रेस कटिंग है—

US ban on Indian nigerseed.

आपने जो वहां बीज भेजा उसका कोई स्टैंडर्ड आप रख नहीं पाये और इसी कारण यूनाइटेड आप रख नहीं पाये और इसी कारण यूनाइटेड स्टेट्स ने आपके बीज के आयात को साफ मना कर दिया कि आप मत भेजो। आपकी एन० एस० सी० का यही हाल है।

यह तो विदेश की बात हुई। यहां प्रेस कटिंग्ज में क्या लिखा है—

Vidharbha cotton growers fail to get H-4 seed.

Contaminated bajra seeds put on market.

Maharashtra rrcket in cotton seeds.

Seeds sprout discontent among farmers.

मेरा कहना यह है कि जब प्रेस में इतनी चर्चा होती है आपके बीजों के खिलाफ तो क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि अगर आपका सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं, धोखाधड़ी नहीं तो आप जनता के सामने आते क्यों नहीं कि हमारा बीज बिल्कुल शुद्ध है और सही समय पर उपलब्ध होता है?

पिछले साल बिहार में मक्का का हाई-

[प्रो० अजित कुमार मेहता]

ब्रिड बीज बांटना था । लेकिन एक साल पुराना बीज बाटा गया वह भी समय के बाद बंटा । इसके कारण निश्चित रूप से पैदावार कम हुई है । इसकी जिम्मेदारी किस पर है और किसानों की क्षति पूर्ति कौन करेगा ? मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बड़ी हास्यास्पद बात कही है कि अगर बीज खराब हो, तो हम किसानों को बीज की कीमत वापस कर देंगे । क्या इससे किसानों की क्षति की भरपाई हो जाएगी ? किसान बीज इस्तेमाल करने के अलावा खेत की जुताई करता है, खेत में खाद और पानी डालता है और मालगुजारी देता है । जब उसकी फसल चली जाती है, तो उसका सब कुछ चला जाता है । क्या बीजों की भरपाई करने से उसकी क्षति-पूर्ति हो गई ? वह कहाँ से खाएगा और कहां रहेगा ।

सरकार की तरफ से बहुत शोर मचाया गया है कि दलहन का बहुत प्रसार किया जा रहा है । पिछली फसल के समय सरकारी माध्यमों से दिल्ली के बाजार से मूंग का बीज खरीद कर बिहार भेज दिया गया । किसानों से एन० एस० सी० की मूंग के बीज की बढ़ी हुई कीमत वसूल की गई, लेकिन उनको घटिया बीज उपलब्ध कराया गया । उनकी जो फसल मारी गयी, उसकी जिम्मेदारी किस पर है ? इससे दोहरा हानि होती हैं : एक तो फसल मारी जाती है और दूसरे उन्नत बीजों के प्रचार तथा प्रसार में बाधा उत्पन्न होती है ।

मंत्री महोदय आ गए हैं । अभी बड़ी चर्चा हो रही है कि उड़ीसा में बीज का घोटाला हुआ है, उसमें मंत्री महोदय के पुत्र का कहीं न कहीं इनवाल्वमेंट है । (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आपके लड़के का इनवाल्वमेंट है ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : यह सुनकर मुझे अफसोस होता है । मैं चाहूंगा कि आप अपनी और सरकार की छवि को ठीक रखने के लिए इसकी जल्दी से जल्दी जांच करा कर इसको समाप्त कीजिए ।

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : कौन सा मंत्री ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : आप जैसी छवि वाले लोगों...

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Do not pass such remarks. You should have in writing ... I will go through the proceedings.

श्री हरीश रावत : आप तो भले आदमी हैं । आप किसके बहकावे में आ कर ऐसी गलत बात कह गए ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैंने यही कहा कि यह सब जो बेमतलब की चर्चा होती है, इसकी जांच करा के इसको समाप्त कराएं । यह सब सुन कर हमें बड़ा दुख होता है ।

हमें याद आता है कि कुछ दिन पहले शास्त्री जी हरियाणा गए थे और वहां से बाजरे के पौधे उठा कर लाए थे । उन का जर्मिनेशन तो ठीक है, वे पौधा जम गया, लेकिन उसके बाद उसमें फूल और फल नहीं लगे । निश्चित रूप से बीजों की खराबी की वजह से ही ऐसा हुआ । मैं पूछना चाहता हूं कि कानटेमिनेटिड बीजों कि

वजह से किसानों को जो क्षति हुई है, क्या सरकार ने उसका सर्वेक्षण कराया है क्या वह उसका सर्वेक्षण करायेगी।

बीज निगम में कहीं कहीं बड़ा घोटाला हुआ है, इसके समाचार समाचार-पत्रों में आए हैं और चर्चाएं हुई हैं। समाचार पत्रों में बीज के घोटाले के बारे में बड़ी चर्चा हुई है कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन में बड़े-बड़े घोटाले हैं। आप ने अभी तक इस की कोई जांच करायी ? यदि करायी है तो कितने लोगों को सजा दी है यह आप सदन में स्पष्ट करेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सारी बातों का जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि किस तरह नेशनल सीड्स कारपोरेशन काम करता है, कितना इस का प्रोडक्शन हैं, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से बीज इकट्ठा करती है और बेचती है, यह सारा ब्यौरा मैं दे चुका हूं। मुझे ताज्जुब हुआ प्रो० मेहता की बात सुन कर। हम लोग जब जिम्मेदारी संभालते है तो इस बात के लिए भी तैयार होते हैं कि हमारे ऊपर चाहे जितनी वाहियात इल्जाम लगाए जायें, और हम उन को सह लें और उनका जवाब दें। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों की भी जिम्मेदारी होती है... (**व्यवधान**)... जो लोग रेसपांसिबल हैं उन की तरफ उंगली उठाना आसान है, लेकिन वह लोग भी जिम्मेदार हैं, लोगों की तरफ से चुनकर आए हैं तो किसी मेम्बर पार्लियामेंट को भी यह समझ कर बात करनी चाहिए कि इस में कहां तक सच्चाई है और क्या बात हम कर रहे हैं। यह बिलकुल गलत है अगर आप ने कोई ऐसी बात सुनी है कि जिस में मेरा या मेरे कुनबे के किसी मेम्बर का कोई हाथ हो सकता है। मेरी नोटिस में तो जब यह बात आई कि उड़ीसा के अन्दर पैडी के बीज में कोई शिकायत है तो चीफ मिनिस्टर उड़ीसा को और चीफ मिनिस्टर हरियाणा को जहां से मुझे शिकायतें मिली, उन को चिट्ठी लिखी कि इस पर सख्त कार्यवाही की जाय। मैंने सीरियस नोटिस लिया और चीफ मिनिस्टर उड़ीसा को और चीफ मिनिस्टर हरियाणा को लिखा कि इस की जांच करें और इन को सजा दें क्योंकि आखिर यह स्टेट का काम है पकड़ धकड़ करना सजा देना। यह पहले मैं बता चुका हूं कि सीड के मामले में जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की बनती है और स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने एन्क्वायरी की है। कुछ आफिसर्स को उड़ीसा गवर्नमेंट ने सस्पेंड भी किया है जैसी कि जानकारी मुझे दी गई है। जिन ट्रेडर्स का उस में हाथ मिला है कुछ उन की भी अरेस्ट हुई है। यह जानकारी तो हमारे पास है। लेकिन अगर आप को इस तरह का ख्याल है कि इस में नेशनल सीड्स कारपोरेशन का हाथ है या इस में मिनिस्टर का या उसके किसी आदमी का हाथ है तो यह बिलकुल निराधार है और मुझे अफसोस है कि इस तरह की बातें आनरेबल मेम्बर गैरजिम्मेदारी के साथ बोल जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम जिम्मेदारी जगहों पर बैठे हैं। इस का नाजायज फायदा आनरेबल मेम्बर्स को नहीं उठाना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : जो अखबार में निकला है वही वह कह रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : अखबार में कौन सी बात निकली है ? .. (**व्यवधान**)... आप ही अखबार में निकलवाने वाले हैं और आप

[राव बीरेन्द्र सिंह]

ही उस का सहारा ले कर यहां बोलने वाले हैं ...(व्यवधान)... अब आप प्राइम मिनिस्टर को ले आए। मेरे ऊपर और छलांग लगा गए।

प्रो० अजित कुमार मेहता : आप ने यह कहा कि हमारे यहां जो भी सूचनाएं दी जाती हैं उस की मैं जांच करता हूं। हरिकेश बहादुर जी ने भ्रष्टाचार गोरखपुर में नेशनल सीड्स कारपोरेशन में हुआ है बस के बारे में आप को पत्र लिख कर के भी सूचित किया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : उस की जांच हम जरूर करेंगे और कर रहे हैं। वह अलग से हम से पूछते तो हम उन को बतला भी देते।

श्री हरिकेश बहादुर : मैंने इन को कुछ और कहने के लिए कहा था, वह इन्होंने कहा नहीं। मैं ने कुछ और बताया था। आप ने जांच करवा कर के यह लिख दिया कि वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY SPEAKER : You don't reply to Harikesh. His name ss not here.

RAO BIRENDRA SINGH : Quite right, Sir.

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा हम लोग बढ़िया किस्म के बीजों के निर्यात किए जाने और किसानों को सड़े-गले बीजों की सप्लाई किए जाने के कारण फसलों को नुकसान होने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर रहे है। मैं इसी महीने की 16 तारीख को किसानों की एक सभा में बोलने के लिए हरियाणा के जींद जिले के नरवाना में गयाथा। वहां सैंकड़ों किसान बाजरे के पौधों के डंठल लेकर मेरे पास आए जिनमें फूल निकले हुए थे लेकिन दाना नहीं था। नरवाना सब-डिवीजन में 50 हजार एकड़ जमीन में बाजरे की फसल बोई गई है। बाजरे का यह बीज राष्ट्रीय बीज निगम ने गुजरात से मंगवाया था, सोलंकी साहब के यहां से उनको हटाने के लिए वहां के लोग आन्दो- चला रहे हैं। आपके राष्ट्रीय बीज निगम ने वहां से बीज मंगवाया था।

राव बीरेन्द्र सिंह : गलत बात, बिल्कुल गलत बात है।

श्री रामावतार शास्त्री : पौधा तो उग गया जिससे किसानों में आशा पैदा हुई, उसमें फूल भी लग गए लेकिन अनाज का पता नहीं है। जिन औरतों के बच्चे पैदा नहीं होता उनको बांझ कहा जाता है और जिस पौधे में फल नहीं लगता उस पौधे को भी बांझ कहा जाता है। फिर यह केवल जींद की ही बात नहीं, हरियाणा के सिरसा हिसार, रोहतक जिलों में, राजस्थान के इलाकों में और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी जहां बाजरा बोया जाता है, आप पता लगवा लीजिए कि वहां की स्थिति क्या है ? नरवाना की स्थिति तो मैंने आपको बता दी है। 17 तारीख को इसी सदन में मैंने वह पौधा भी उपस्थित करने की कोशिश की थी लेकिन पार्लिमेंटरी एफेयर्स मिनिस्टर नाराज हो गए और डिप्टी स्पीकर ने कहा कि इनको नीचे रखो तब बोलने देंगे। तो यह स्थिति है बाजरे की।

राज्य सभा में 9.6.71 को आपने खुद कहा था कि बिना सरकारी जांच के बाजों

को अब बाजार में नहीं बेचा जाएगा लेकिन वह बेचे जा रहे हैं, उनको रोकने में आप समर्थ नहीं हैं। आपने यह भी कहा था कि बीजों में आत्मनिर्भरता के लिए आपकी 240 करोड़ की योजना है। ऐसा 9.2.75 को आपने कहा था। तो आपकी योजना भी है, आप रद्दी बीज देते नहीं है, फिर किसानों को यह रद्दी बीज कहां से मिल जाते हैं? जितनी भी इसकी एजेंसियां हैं वह सरकारी ही हैं, चाहे वह राष्ट्रीय बीज निगम हो या राज्य सरकार की एजेंसियां हों। कहीं-कहीं निजी एजेंसियां भी किसानों को बीज दे देती हैं। नरवाना में किसानों को जो बीज दिया गया उससे 50 हजार एकड़ की फसल बरबाद हो गई। वह बीज किसने दिया और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई तथा क्या वहां के किसानों की क्षतिपूर्ति की जायेगी? जिन्होंने भी कार्य किया है उन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। कौन लोग इसके लिए दोषी हैं? क्या उनके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन सदन को देंगे?

इसी हिसाब से खराब किस्म के बीज, चाहे वे गेहूं के हों, धान के हों, चावल के हों, चने के हों, मसूर के हों या मकई के हों, गुजरात, बिहार और उड़ीसा को दिए गए। उड़ीसा की चर्चा हुई, उसके बारे में सिर्फ पढ़कर सुना दूंगा और उसके बाद मंत्री जी जवाब देंगे। इन तमाम राज्यों में बीज में घोटाले चल रहे हैं। रद्दी किस्म के बीज दिए जा रहे हैं और आप सबका बचाव करते हैं। आप सजाएं कितनों को देते हैं, इस बारे में नहीं बताते हैं। यदि आप बतायें तो हम लोगों का गुस्सा कम हो और जनता का गुस्सा कम हो। मेरी समझ में तो आप सब की रक्षा करते हैं। इसी वजह से वे प्रोत्साहित होते जाते है। आपने सलाहकार समिति में 5.7.1982 को कहा हैं कि मिलावट को रोकने के लिए जरूरी वस्तु कानून के अन्तर्गत लाया जाएगा। पता नहीं आप इसको कब तक लायेंगे। वायदा करते हैं, लेकिन लाते नहीं हैं। लाइए, तो पता लगे कि आपकी मंशा ठीक है और आप किसानों की मदद करना चाहते हैं। बीज निगम की 40 करोड़ रु० की योजना खटाई में चली गई है। यह खबर 24.5.77 की, जो अखबार बनारस से निकलता है, उसमें छपी है। बहुत सारी बातें बीज निगम के बारे में 10-15-20 वर्षों के अखबारों में निकलती रही है, लेकिन पता नहीं आप क्या कार्यवाही करते हैं। इन बातों के बारे में आपकी सफाई देनी होगी। एक बाहर एन० एस० सी० के द्वारा आंध्र प्रदेश सीड कारपोरेशन से रद्दी किस्म का बीज बिहार को दिया गया, यह बात अखबार में निकली हैं। यह खबर इंडियन एक्सप्रैस, तारीख 1.7.1983 को निकली है। इसी तरह की बहुत सारी बातें कही जाती हैं। प्रोब-इन्टू-डिस्ट्रिब्यूशन आफ सीड्स उड़ीसा के घोटाले के बारे में सी० पी० आई० के स्टेट्स सैक्रेटेरिएट ने दी। कुछ लोगों ने चावल के बीज बाहर भेजे। उसी संदर्भ में आपके लड़के या दो आई० सी० ए० आर० के अधिकारियों का नाम लिया जाता है। अखबारों में ये चीजें निकली है। यह मैं पढ़कर सुना दूंगा। एक एम० पी० की चिट्ठी सुना देता हूं।

Shri T. S. Negi had sent a letter to the Prime Minister.

SHRI RAM PYARE PANIKA (Robertsganj) : After all, we can ask only specific questions on the calling attention.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Who are you to ask me about it ?

SHRI RAM PYARE PANIKA : He cannot read a letter on this subject.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : He will reply to it.

MR. DEPUTY SPEAKER : The Chair has already taken notice of it. I am telling him. You please sit down. I have already checked up.

SHRI RAM PYARE PANIKA : We do not agree.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I am referring to a letter written by a Member of this House to the Prime Minister.

MR. DEPUTY SPEAKER : He has already raised it and he has already replied.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : No, no, he has not said about the M.P. I am quoting him and what the Prime Minister wrote to him.

SHRI RAM PYARE PANIKA : You kindly see the rules. How can you allow him ?

MR. DEPUTY SPEAKER : If he mentions the name of any M.P. then it is an allegation.

SHRI RAMAVTAR SHASTRI : Let me read that portion. It will be clear.

MR. DEPUTY SPEAKER : If you had give it in writing, I would hav allowed you. All right, I will go through the record. Come to the subject.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : This is about the export of rice seeds from Orissa to somewhere else. He mentioned it. Therefore, I am mentioning it.

SHRI HARISH RAWAT : I am giving you a prior intimation.

MR. DEPUTY SPEAKER : I have already dealt with it. He is on a different subject now.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Shri T.S. Negi had sent a letter to the Prime Minister on 19.4.1983 and drawn attention to the news report *Jan Yug* dated 19.4.83 concerning a student leader's letter dated 18.4.83 to the Prime Minister giving details of involvement of a son of the Agriculture Minister and two ICAR employees in the racket.

MR. DEPUTY SPEAKER : You should have given notice to me and you can mention it here and you will get reply from the Minister also. You are straightwayraising it.

SARI RAMAVATAR SHASTRI : He is here. It was read. Therefore I am reading it.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : The other day, when Prof. Madhu Dandavate wanted to raise a question about the Governor of Sikkim, the Speaker pointed out that on the previous occasisn during the calling attention motion............

MR. DEPUTY SPEAKER : Please bear with me. He is saying that the Minister's son is involved.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : So, the Minister is here to deny it,

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please listen. If you had given notice of this to the Chair we would have forwarded it

to the Minister and he would have been ready to reply to you also. You should have given notice. So, do not make a general accusation like that.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: So, it is being interpreted in a different manner now. You are interpreting differently now.

SARI HARIKESH BAHADUR : You are creating a situation when this entire House is becomes irrelevant.(*Interruptions*) You are creating wrong precedents.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Please here. The Prime Minister acknowledged the letter on 28-4-1983 and informed that the Agriculture Ministry was being asked to look into the report, that means the report of the Members of Parliament.

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई चिट्ठी इन को प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय से मिली है ? अगर नहीं मिली है तो ये उस को डिनाई कर सकते हैं । मैं जानना चाहता हूं— प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह का लेटर जिस के द्वारा इन के परिवार के ऊपर चार्ज लगाया गया है इन के पास भेजा है तो उस के बारे में बतलायें और क्या वह उचित समझते है कि जब उन्हीं पर ...(व्यवधान)...अब इस तरह की बात हुई हैं तो इस की सूचना इन को है या नहीं है ? यदि है तो इस मामले में क्या स्थिति है ? जब इतने दक्ष मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह की शिकायत की जाय तो क्या यह उचित नहीं होगा कि वह इस की इन्क्वायरी सी० बी० आई० से करवा कर अपने आप को साफ साबित करवायें । ...(व्यवधान)...

MR. Deputy-SPEAKER : You do not come to the subject. You are going on repeating.

श्री रामावतार शास्त्री : आप के यहां नियम है और आप ने 1976-77 में ऐलान किया था कि बीज की वजह से जिनकी फसलें खराब हो जायेंगी उन की कीमत आप लौटायेंगे । मैं जानना चाहता हूं — नरवाना समेत आप सब जगह पता लगा लीजिए (व्यवधान)*...

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Panika, I will not allow. Please sit down. This is calling attention. Mr. Shastri, you concentrate on it.

श्री रामावतार शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं— आप वह कीमत लोगों को लौटायेंगे या नहीं ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं — हमारे देश में बीज की कितनी टोटल आवश्यकता है और कितने बीज का आप उत्पादन कर रहे हैं— अपनी एजेन्सी और बाकी तमाम एजेन्सियों की मारफत ?

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) ; Shri Panika must be reprimanded for this kindness.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That will also not go on record.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is there in the Calling Attention itself. You see. It is says.........

'whereas high quality seeds were exported without taking into considera-

[Mr. Deputy Speaker]

tion the national needs, and the action taken by the Government."

I have not heard anything on the Calling Attention from you regarding this.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI ; What do you mean by 'exporters' ? Some rice seeds were exported.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Come to the subject, now

श्री रामावतार शास्त्री : चेयरमैन आफ नेशनल सीड्स कारपोरेशन ने 20.6.83 को कहा कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन के बीज महंगे होंगे। ऐसा क्यों ? आपका बीज औरों से क्यों महंगा होगा और क्यों मंहगा बीज खरीदने की स्थिति में गरीब किसान जिसको आप मार्जिनल फार्मर कहते हैं, है ? इसकी कीमत में कमी करने के बारे में आप कोई विचार रखते हैं या नहीं ताकि आम किसान आपका बीज खरीद सके।

एक बात और जानना चाहता हूं। जनता पार्टी के कृषि मंत्री ने 2.8.77 को... ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Do not mention any names. He is not a Member of the House.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I am not making any allegation ; I am simply praising him.

श्री रामावतार शास्त्री : उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय बीज निगम खराब बीज की आपूर्ति नहीं करेगा। (**व्यवधान**)

उन्होंने यह बात स्पष्ट कही थी। उनके इस विचार, इस निर्देश या घोषणा का सरकार ने कहां तक पालन किया है ? (**व्यवधान**)

*Not recorded

बीजों को भी आवश्यक वस्तु के अन्दर शामिल किया जाए, इसके लिए आप कानून में कब तक संशोधन लाने का विचार रखते हैं जिसका वादा आप अपनी कमेटी में कर चुके हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, शास्त्री जी की जानकारी इतनी जबरदस्त है इसका इस चीज से सबूत मिलता है कि अभी तक ये इस बात की मांग कर रहे हैं कि बीज को असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत लाया जाए जबकि मैं आज ही दो बार बता चुका हूं कि इसका नोटिफिकेशन 24 फरवरी 1983 को हो चुका है और इसके असेंशियल कमोडिटी होने का घोषणा हम कर चुके हैं। न तो ये गजट पढ़ते हैं, न अखबार पढ़ते हैं और न यहां पर सुनते हैं। आप सिर्फ "जनयुग" पढ़ते हैं। (**व्यवधान**)

आपकी जानकारी पर मुझे अफसोस हो रहा है। (**व्यवधान**)

आज के कालिंग अटेंशन मोशन का फायदा आपने सिर्फ इसलिए उठाने की कोशिश की कि मेरे ऊपर आप कुछ कीचड़ फेंक सकें। लेकिन यह कीचड़ मेरे उपर नहीं चिपकेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरा वह मतलब नहीं था।

राव बीरेन्द्र सिंह : अगर वह मतलब नहीं था तो और किस पर आप कीचड़ फेंक रहे थे ? क्या अपने आप पर फेंक रहे थे। आज जो कुछ इन्होंने कहा वह मैं पहली दफा सुन रहा हूं। किसी अखबार में, किसी चिट्ठी में मेरे खानदान के किसी आदमी का

कहीं जिक्र आया है. यह मैं पहली बार हाउस में सुन रहा हूं। अचानक इन्होंने यह बात उठाई। कौन सा जनयुग अखबार है और कौन सी चिट्ठी है, मिस्टर नेगी ने क्या यह लिखा, उसका मैंने पता किया है । (व्यवधान) कोई चिट्ठी मिनिस्टर से मुझे नहीं आई और न मिस्टर नेगी ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा। यह भी नहीं लिखा कि मेरे खानदान के किसी आदमी का उसमें हाथ था। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : उस जनयुग में स्टूडेंट लीडर का बयान छपा हुआ था ।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्टूडेंट लीडर्स से आप क्या-क्या बयान छपवाते हैं, यह आप ही जानते होंगे । हम इसकी खबर नहीं रखते। जो चिट्ठी मिनिस्टर ने लिखी, मुझे जो जानकारी मिली है इस बारे में थी फूडग्रेन्स ... । (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : प्राइम मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया है। इस बारे में जो आपने बताया वह मैंने सुन लिया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : प्राइम मिनिस्टर के जवाब में कुछ नहीं है । आप जबरदस्ती उल्टा-पुल्टा करके कोई बात कहना चाहते हैं। किस तरह से इतने पुराने मेम्बर हो कर इस तरह की बात कर रहे हैं । बगैर जानकारी के चिट्ठी का जवाब दिया गया। जवाब में क्या है ? इस में...

श्री रामावतार शास्त्री : प्राइम मिनिस्टर ने नेगी जी को जो जवाब दिया है यह भी मैंने पढ़कर सुनाया है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस तरह से आप नहीं उठा सकते हैं। श्री नेगी ने लिखा था कि फूडग्रेंज के जितने सीड हैं या तो बैंड या रेस्ट्रिक्टिड लिस्ट में रखा जाए। उसका जवाब कामर्स मिनिस्टर ने दिया। मुझे यह मालूम नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब दिया है। आपको उसकी जानकारी होगी, मुझे कोई नहीं है। कामर्स मिनिस्ट्री से जवाब मिला मि० नेगी के पत्र का । उन्होंने मांग की थी कि इसको बैंड या रेस्ट्रिक्टिड आइटम रखा जाए । हम ने इसको कर दिया है। 24 फरवरी को इस साल एक नोटिफिकेशन के जरिए इसको इसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया है जो मैं बता चुका हूं। इस पर एक्शन लिया जा चुका है।

जहां तक आपके इलजामात लगाने का ताल्लुक है, आप तसल्ली कर सकते हैं कि कई पीढ़ियों तक न मेरे खानदान के किसी आदमी ने व्यापार किया है और न आगे कोई कर पाएगा । व्यापार करना और लोगों का काम है। बिल्कुल गलत, वाहियात, लगी बात करने से कोई बात नहीं बनती है।

श्री रामावतार शास्त्री : बहुगुणा का ठीक से जवाब...

राव बीरेन्द्र सिंह : आसमान पर थूकेंगे तो आपके मुंह पर गिरेगी। राज्य सभा में हो या लोक सभा में...

श्री रामावतार शास्त्री : ऐसी बात करने से काम नहीं चलेगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : बिल्कुल चलेगा, इसलिए कि आपकी बात बिल्कुल ** है, शरारत से भरी हुई है और इस तरह से मिसचीवस बातें करके आप मिसलीड नहीं कर सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : राज्य सभा में क्यों जवाब नहीं दिया ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मेरे सामने यह बात होती तो मैं राज्य सभा में भी यही बात कहता।

What you are saying is full of mischief ....(*Interruptions*) Of course, it is all malicious; absolutely malicious; nothng else.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : If you are denying it.........

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Shastri, you have raised the point. He is replying.........

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : He can contradict me.........It is his duty to contradict it, but not to be furious...... (*Interruptions*)

RAO BIRENDRA SINGH : When he pays attention to me, he also deserves some attention.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : You are furious and mentioning all sorts of things; do not try to do it.........

(*Interruptions*)

राव बीरेन्द्र सिंह : इस सदन के स्तर को इस तरह इस लेबल पर जो आपने आज लाने की कोशिश की है यह चेयर का काम है कि आनरेबल मेम्बर्स को और आप जैसों को कहां तक इजाजत दी जाए। इस तरह के वाहियात और लगो इल्जाम लगाने की कहां तक इजाजत दी जाए। जन युग का आप नाम लेते हैं लेकिन नाम खुद जा कर पहले तसल्ली कर लेते...

श्री रामावतार शास्त्री : चिट्ठी लिखी है...

राव बीरेन्द्र सिंह : आप भी जानते हैं और आपका खानदान भी जानता है मुझे और मेरे खानदान को। क्या बात करते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं गरीब खानदान का हूं। आपके खानदान को भी खूब जानता हूं। शोषण करने वाला खानदान मेरा नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप जैसों को इस तरह की वाहियात बातें करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

श्री रामावतार शास्त्री : आपके खानदान को भी जानता हूं। मैं बहुत गरीब खानदान का हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : गरीब खानदान का यह मतलब नहीं है कि दुनिया पर कीचड़ उछालो।

श्री रामावतार शास्त्री : कंट्रेडिक्ट कीजिये।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं राज्य सभा में नहीं था, नहीं तो मैं जवाब देता। मेरी गैर हाजिरी में कभी बात हुई होगी। आज पहली बार यह बात मैं हाउस में सुन रहा हूं।

**Expunged as ordered by the Chair.

श्री रामावतार शास्त्री : फ्रीडम मूवमैंट का मैं सिपाही रहा हूं। आपकी तरह नहीं हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : तमाशा बना रहे हैं।

जलन के सिवाय कुछ नहीं है। आपको इंसानियत की बात करनी चाहिये। कालिंग एटेंशन इसलिए लाए थे ताकि जानकारी हासिल कर सकें लेकिन आपने तो——

श्री रामावतार शास्त्री : गलत समझते हैं तो डिनाई कीजिये।

RAO BIRENDRA SINGH : If you talk outside, I will see how far you can go on talking. You mention the place, there I will come. I will meet you in Bihar in your own constituency.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Come on. I invite you.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मंत्री महोदय ने कहा है बाहर देखूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री : मारा खानदान ले आए हैं। लूटने वाला खानदान हमारा नहीं है।

RAO BIRENDRA SINGH : He is taking undue advantage of his privilege as a Member.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : What do you mean by this ? I have quoted.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Minister, you continue your reply. All of you may please sit down.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Do not record anything.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : I don't allow. Please sit down. Don't interrupt without my permission.

During this discussion some hon. Members might have used certain words which are not acceptable according to the rules. I will go through the records and see how much can be allowed.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Sir, I have quoted.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have said, 'Some hon. Members', not about you.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Minister, you reply.

RAO BIRENDRA SINGH : Sir, I am prepared to reply to all the queries of the hon. Members, but if they want to take undue advantage of their privilege as Members of this hon. House, then it is for the Chair to see how far they can be allowed. (*Interruptions*).

जहां तक इस बीज का ताल्लुक है उड़ीसा में जो बीज की शिकायत मिली, हमारी नोटिस मे आयी, उसके लिये हमने फौरन ऐक्शन लिया। चीफ मिनिस्टर को

**Not recorded.

[राव बीरेन्द्र सिंह]

मैंने खुद चिट्ठी लिखी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। इनक्वायरी जो स्टेट गवर्नमेंट ने की उसमें कुछ अफसरों को सस्पेंड किया गया है, कुछ व्यापारियों को अरेस्ट किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट उस पर ऐक्शन ले रही है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट सिवाय इसके कि स्टेट गवर्नमेंट को कहती रहे और ध्यान रखे कि क्या-क्या ऐक्शन लिया गया है, इससे ज्यादा और क्या हम कर सकते हैं वह आप सजेश्वन दें तो हम गौर कर सकते हैं।

जहां तक हरियाणा की बात शास्त्री जी ने कही खुद मुझे मेरी कांस्टीट्यूएंसी के दौरे के समय इस बात का पता लगा और शिकायत मिली कि बाजरे का बीज जो हरियाणा में कुछ ऐजेन्सियों द्वारा बेचा जा रहा है वह बीज कुछ अच्छा नहीं है, मैंने फौरन इन्क्वायरी इस बात की की और 3 टीमें सेन्टर से मुख्तलिफ जगह छापा मारने के लिये भेजीं, बीज के सैम्पिल लिये गए, कुछ जगहों पर लेबल ठीक नहीं पाये गये। जो बीज भेजे जा रहे थे, उसमें कुछ जगहों पर ट्रुथफुली लेवरा सीड के लेवल नहीं थे, प्रासेस नहीं था यह बात पता लगी। उसके लिये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को मैंने चिट्ठी लिखी है कि इसकी पूरी इन्क्वायरी कराओ और जो सजा के काबिल हों, उनको सजा दो।

यह बात गलत है कि नेशनल सीड कार्पोरेशन ने वह बीजबेचा। यह मेम्बर्स को गलतफहमी है जहां तक मुझे पता है, वह बीज गुजरात के ट्रेडर्स से हरियाणा के किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने या किसी दूसरी एजेन्सी ने लिया था। उन्होंने वह बीज ट्रुथफुली लेवल कर के बिकवाना शुरु किया। इससे नैशनल सीड कार्पोरेशन का कोई ताल्लुक नहीं है न उसका कोई हाथ है। हमने तो इसकी जांच कराई है। हम सजा देना चाहते हैं। हम हरियाणा गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हमें रिपोर्ट दो कि क्या एक्शन लिया? यहां जो बातें कही गई बहुत सी बातें गलत हैं, आनरेबल मेम्बर्स ने इन्फार्मेशन के आधार पर यहां उठा दी है।

अगर वह तसल्ली करना चाहें तो हर तरह से जबाव देकर तसल्ली कराने को हम तैयार हैं, आगे जो कार्यवाही कर रहे हैं उससे अवगत कराने के लिये तैयार हैं। अगर इनका विश्वास ही नहीं है किसी बात पर कि हम ठीक कह रहे हैं तो उसके बारे में शास्त्री जी जैसे आदमी का हमारे पास कोई जवाब नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : जो खबर हमें लगी, वह हमने बता दी है।

राव वीरेन्द्र सिंह : जैसा मैंने कहा कि सीडज की बहुत कमी है। जितने सीडज की जरूरत होती है, सर्टिफाइड सीडज का 14, 15 प्रतिशत कुल नेशनल सीडज कारपोरेशन मुहैया कर पाती है, बाकी 85 फीसदी बीज स्टेट्स की एजेन्सियां या तो अपने आप इकट्ठा करती हैं, या बाहर से खरीद कर लेबल पर कर के, ट्रुथफुली लेबल कर के बिकवाती हैं। नेशनल सीडज कार्पोरेशन खुद कोई नहीं बेचती सिवाय चन्द कुछ ऐसे बीजों के जो अभी रिलीज नहीं हुए हों, नोटिफाइड नहीं हुए हों और उनकी जांच न हुई हो। अच्छे बीज की तसल्ली कर के थोड़ी मात्रा में नेशनल सीडज कार्पोरेशन देता है। एन० एस० सी० का सारा बीज सर्टिफाइड होता है। जहां कहीं कोई गलती होती है, वह हम मानने के लिए तैयार हैं।

जैसा मैंने आज कहा कि कुछ हाई ब्रीड

बाजरा और सीड ग्रोअर्स के खेतों में मिक्सड हो गया था, उसको हाई ब्रीड, मल्टीपल क्रास कर के उन्होंने बेचा है, मगर उस पर एन० एस० सी० का पूरा ध्यान है, कि उससे फसल अच्छी होती है या नहीं। अगर उपज कहीं खराब होती है, बीज खराब होता है तो सन् 1976 से हमारा कायदा चला आ रहा है कि किसानों को हम उपज का पैसा वापिस करते हैं। बहुत से केसेज में दिया गया है। अगर इसमें भी यह पता लगा कि नेशनल सीडज कार्पोरेशन ने बीज खराब दिया है तो किसानों को उसकी उजरत वापिस की जायेगी।

———

15.58 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Fiftieth Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : I beg to move :

"That this House do agree with the Fiftieth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 22nd August, 1983."

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That this House do agree with the Fiftieth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 22nd August, 1983."

The motion was adopted.

———

14.59 Hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Failure of Telecommunication System in Junagarh, Distt. (Gujarat)

SHRI MOHAN LAL PATEL (Junagarh) : Under Rule 377 I make the following statement :

I would like to draw attention of the Minister of Communications to the total failure of telecommunication system in Junagarh district of Gujarat due to recent cyclone, heavy rains and floods. This paralysed the normal life of the citizens and made industry limbless. Only interceptions are there and no telephone exchange is in working condition there. Needless to say that the buildings of telephone exchange, poles etc. are badly damaged. All this needs central government's help to start the system functioning properly.

It is also requested that a specific amount be sanctioned for replacing the wire, repairing the system and providing the normal facilities to the people of the area.

The industries and factories have suffered heavy losses due to failure of telecommunication system in Junagarh. Therefore, to protect the interests of the people at large, Central Government is requested to take immediate action to improve the telecommunication system in Junagarh at the earliest.

15.00 hrs.

(ii) Rural Electrification Schemes for Mirzapur Distt.

श्री राम प्यारे पनिका (राबट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश तथा विशेषकर मिर्जापुर जनपद के ग्रामीण विद्युतीकरण अन्तर्गत कई योजनाएं केन्द्रीय सरकार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा सन् 1976 से स्वीकृत हैं, परन्तु विद्युतीकरण करने की गति अत्यन्त धीमी है। फलस्वरूप मिर्जापुर